संख्या-एस0आर0-2223/दस-967(10)/77

प्रेषक,

रा0 वेंकट नारायणनन,
संस्थागत वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- संयुक्त सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।
2- समस्त कलेक्टर, उत्तर प्रदेश।

वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग लखनऊ, दिनांक मई 1, 1981

विषयः स्टाम्प अधिनियम की धारा-31 के अन्तर्गत उचित स्टाम्प शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में कलेक्टरों के यहाँ सम्पन्न निर्णयों तथा उनके सम्बन्ध में धारा-31अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्रों के पश्चात की कार्यवाही के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे कहना है कि प्रदेश में यथा-कदा कलेक्टरों के उक्त धाराओं के अन्तर्गत लिये ऐसे निर्णय प्रकाश में आये हैं जिनसे राजस्व की हानि हुई है। इस समस्या के निराकरण हेतु न्याय विभाग की सम्मति ली गयी है जिन्होंने कहा है कि ऐसे निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में स्टाम्प अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत जाया जा सकता है। अतः यह सुनिश्चित करने के लिये भविष्य में उक्त धाराओं के अन्तर्गत-कलेक्टरों के किसी निर्णय से राजस्व की कोई हानि न हो, शासन ने निर्णय लिया है कि भविष्य में प्रदेश में उक्त धारा 31-32 के अन्तर्गत लिये कलेक्टरों के प्रत्येक निर्णय के पश्चात निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

2- एतद्पश्चात प्रदेश के प्रत्येक कलेक्टर के लिये आवश्यक होगा कि जिस तिथि को स्टाम्प अधिनियम की धारा-31-32 के अन्तर्गत निर्णय ले, उसी तिथि को या उसके तत्काल पश्चात अपने निर्णीत मामले से सम्बद्ध (1) दस्तावेज की प्रतिलिपि, (2) मामले का संक्षिप्त विवरण, जिसमें मामले के स्टाम्प शुल्क की देयता से सम्बद्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर प्रकाश हो, तथा (3) अपने निर्णय की प्रतिलिपि स्टाम्प विभाग, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को रजिस्ट्रीकृत डाक से या अन्य सुरक्षित प्रकार से भेजेंगे।

3- जिला स्तर से प्राप्त ऐसे प्रत्येक मामले का राजस्व परिषद में परीक्षण और विश्लेषण इस दृष्टि से किया जायेगा कि क्या प्रश्नगत मामले में कलेक्टर द्वारा लिये निर्णय से राजस्व की हानि हुई है। यदि राजस्व परिषद के संयुक्त सचिव के मंशानुसार किसी ऐसे निर्णय से राजस्व की हानि सम्भावित होती है तो वे राजस्व परिषद से अनुरोध करेंगे कि राजस्व परिषद जब्त मामले को स्टाम्प अधिनियम की धारा 57 के प्राविधान के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को संदर्भित करने का कष्ट करें।

4- भविष्य में राजस्व परिषद से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे कलेक्टरों के यहां से प्राप्त ऐसे मामलों का वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त कर शासन को प्रस्तुत करेंगे, जिससे शासन को स्पष्ट होगा कि प्रश्नगत वर्ष में (1) किस जिले में कितने ऐसे मामले परिषद को भेजे गये (2) प्रत्येक जिले के ऐसे कितने मामलों को उच्च न्यायालय में भेजा गया, (3) कलेक्टर के किसी निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया और (4) कितने ऐसे मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।

5- राजस्व परिषद से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रक्रिया से अपने नियंत्रणाधीन स्टाम्प के सभी निरीक्षण अधिकारियों को अवगत करा देंगे जो प्रत्येक कलेक्टरों के यहां से सम्बद्ध अपनी निरीक्षण टिप्पणी में मासिक उल्लेख करेंगे, इस प्रक्रिया का पालन हो रहा है।

भवदीय

ह0/-

(रा0 वेंकेंकट नारायणनन)

संस्थागत वित्त सचिव।